बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–कम्प्यूटराईजेशन(द्वि0च0)–07/2018– 5271 /खाद्य, पटना/दिनांक– 11.11.19

प्रेषक,

अनिमेष कुमार पराशर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **FPS Automation योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों में PoS यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में हो रही कठिनाईयों के समाधान हेतु प्रथम तीन माह के लिए Hybrid Model लागू करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि End to End Computerization के द्वितीय चरण में FPS Automation योजनान्तर्गत PoS यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है, जिसके क्रियान्वयन हेतु राज्य के आठ जिलों यथा–गया, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, गोपालगंज एवं सुपौल में PoS यंत्र से खाद्यान्न वितरण करने हेतु समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हो रहा है कि यंत्र के सुचारू रूप के संचालन करने में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को कुछेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत लाभुकों को प्रत्येक माह खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बाध्यता है एवं किसी भी परिस्थिति में पात्र लाभुकों को खाद्यान्न से वंचित नही किया जा सकता है। अतः ऐसी परिस्थिति में तकनीकी कठिनाईयों को ठीक होने तक PoS यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण हेतु Hybrid Model लागू कर खाद्यान्न वितरण कराया जाना श्रेयस्कर होगा।

अतः वर्णित स्थिति में Hybrid Model के अनुसार खाद्यान्न वितरण की निम्नवत् व्यवस्था होगी :–

1. प्रथम बार जब डीलर मशीन प्राप्त करेंगे तो अपने आधार से Bio-metric Authentication कर मशीन प्रणाली समाकलक (Visiontek) से प्राप्त करेंगे। अगले माह से जब नेटवर्क रहेगा तो आधार Authentication कर मशीन Login करना होगा। जब नेटवर्क नही रहेगा तो पासवर्ड से Login करना होगा।
2. प्रत्येक माह के प्रारंभ में मशीन की सभी विवरणी यथा–
   Family विवरणी एवं
   सामग्री विवरणी Download करना होगा जिसके लिए नेटवर्क आवश्यक है।
3. वितरण की प्रक्रिया :–

A. 1. अगर नेटवर्क उपलब्ध हो,
2. आधार सर्वर कार्य कर रहा हो,
3 PoS सर्वर कार्य कर रहा हो

ऐसी स्थिति में जब लाभुक खाद्यान्न प्राप्ति हेतु जन वितरण प्रणाली दुकान पहुँचेंगे, तो उनका Biometric Aadhaar authentication कर server से Real time transaction करवाया जायेगा। इस कार्य के लिए Data server से Machine में आयेगी और Transaction के पश्चात् वहीं वापस Server पर update हो जायेगी।

B. 1. यदि नेटवर्क उपलब्ध है,
2. आधार सर्वर उपलब्ध नहीं है।
3. पी0डी0एस0 सर्वर उपलब्ध है, तो इस परिस्थिति में Aadhaar authentication नहीं होगा, परन्तु लाभुक की पूरी विवरणी सर्वर से PoS यंत्र पर Real time में आ जायेगी एवं un-authentication होगा तथा सर्वर पर Real time रिकोर्ड होगा।

C. 1. यदि नेटवर्क उपलब्ध है।
2. Aadhaar server down है।

3. PDS server भी down है, तो इस परिस्थिति में लाभुकों का aadhaar authentication नहीं होगा। Data server के जगह PoS मशीन से ली जायेगी, जैसे ही PDS server up होगा, तो Machine से Transaction की सारी details PDS server को upload हो जायेगी।

D. 1. नेटवर्क उपलब्ध नही है,
2. आधार सर्वर कार्य नहीं कर रहा है,
3. PDS server up है, तो इस परिस्थिति में लाभुकों का आधार Authentication नहीं होगा और data server के स्थान पर PoS मशीन से ली जायेगी। Transaction होने के बाद जब भी network उपलब्ध होगा Transaction का data PDS server को upload हो जायेगा।

E. 1. Network नहीं है।
2. Aadhaar server down है।
3. PDS server down है, तो इस परिस्थति में लाभुक का Authentication नहीं होगा। मशीन से उसकी विवरण प्राप्त की जायेगी। Transaction के बाद data PoS Machine में स्टोर रहेगा। जब भी Network एवं PDS server available होगा तो Transaction data server पर Post हो जायेगा।

नोट :– वैसे पात्र लाभुक जिनका PoS यंत्र में नाम परिलक्षित नहीं हो रहा है, को वितरण रजिस्टर के माध्यम से आधार नं0 की छायाप्रति लेते हुए उचित पहचान कर खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाएगा। पी0डी0एस0 डीलर इसकी प्रविष्टि PoS यंत्र के माध्यम से कराते हुए सूचना को e- PoS सर्वर पर अपलोड कराना सुनिश्चित करायेंगे। पी0डी0एस0 दुकानदार खाद्यान्न वितरण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित लाभुक को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपात्र की श्रेणी में सम्मिलित नही किया गया है।

Instruction : माह के अन्त में अगर कोई भी Transaction data मशीन में शेष रह जाता है तो जन वितरण प्रणाली विक्रेता को अनिवार्य रूप से PDS server पर upload करना सुनिश्चित करना होगा।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन(द्वि0च0)–07/2018– 5271 /खाद्य, पटना/दिनांक– 11.11.19

प्रतिलिपि – अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन(द्वि0च0)–07/2018– 5271 /खाद्य, पटना/दिनांक– 11.11.19

प्रतिलिपि – श्री गुरू प्रसाद, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, हैदराबाद, तेलंगना/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना/Linkwell Telysystems Pvt. Ltd, Hyderabad, Telangana को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।